स वल सेवा

विषय वस्तु

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	➢ इतिहास	2–15
2	➢ सिविल सेवाओं का विकास क्रम	15–18
	➢ भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861	19–19
	➢ संविधान, शक्ति और उद्देश्य	21–21
3	➢ शासन प्रणाली • भारतीय सिविल सेवा • भारतीय प्रशासनिक सेवा • भारतीय वन सेवा • भारतीय पुलिस सेवा	22–38
4	➢ केन्दिय सिविल सेवा	39–42
5	➢ राज्य सिविल सेवा	33–43
6	➢ अन्य	44–44

इतिहास

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में ब्रिटिश राज के भारतीय स वल सेवा से इसका गठन कया गया।

- सन् 1947 में लोकसेवाओं का जो स्वरूप हमें वदे शयों से उत्तरा धकर स्वरूप प्राप्त हुआ, वह वदेशी शासन की स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में एक था, यद्य प इसकी संरचना में वदे शयों का प्रधान दृष्टिकोण इसे एक कल्याणकारी राज्य की जटिल और अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना नहीं, वरन् व ध और व्यवस्था (ला ऐण्ड आर्डर) की रक्षा मात्र था। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा उसके परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों में होनेवाले परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से भारतीय लोकसेवाओं पर पड़ा। परंतु सामान्य रूप में नागरिक सेवाएँ हमारे सं वधान द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं के अंतर्गत, स्वतंत्र होने के पूर्व के व ध- वधानों एवं उद्देश्यों के अनुसार ही चल रही हैं।
- स्वतंत्र भारत के समक्ष सर्वप्रमुख समस्या प्रशासकीय कर्मचारियों की थी, जो क महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं जैसे, भारतीय नागरिक सेवा में रत वदेशी पदा धकारियों के स्वदेश लौट जाने तथा भारत- वभाजन के कारण मुस्लिम पदा धकारियों के पा कस्तान चले जाने के कारण उत्पन्न हुई। इसके साथ ही परिवर्तित परिस्थितियों में भारत के अनुकूल सेवाओं के स्वरूप के निर्धारण की भी समस्या थी। महत्वपूर्ण

सेवाओं में रिक्तता की स्थिति दुरंत थी। उदाहरण के लए सन् 1947 में भारतीय नागरिक सेवा (आई.सी.एस.) में 1064 पदा धकारीं थे, जिनमें से केवल 451 पदा धकारी 15 अगस्त सन् '47 के बाद सेवारत रहे। रिक्तताजन्य स्थित की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है क केंद्र और राज्यों में भारतीय नागरिक सेवाओं के प्रमुख पदों पर प्रतिष्ठित 51 प्रतिशत ब्रिटिश पदा धकारी भारत छोड़कर चले गए। इस रिक्तता की पूर्ति अ वलंब अपे क्षत थी। अ खल भारतीय सेवाओं - भारतीय नागरिक सेवा (आई.सी.एस.), भारतीय पु लस (आई-पी.) और साम्राज्य स चवालय सेवा (इंपीरियल सेक्रेटरिएट स र्वस) सबमें समु चत उत्तरा धकारियों के चयन का व्यापक प्रयत्न कया गया। अक्टूबर, 1946 के आयोजित सम्मेलन के निश्चयानुसार आई.सी.एस. और आई.पी.एस. के स्थान पर प्रशासकीय सेवा (आई.ए.एस.) और भारतीय पु लस सेवा (आई.पी.एस.) की स्थापना की गई। इसी प्रकार सन् 1948 में हुए निश्चयों के अनुसार साम्राज्य स चवालय सेवा (इंपीरियल सैक्रेटरिएट स र्वस) के स्थान पर केंद्रीय स चवालय सेवा की स्थापना की गई। केंद्रीय स चवालय के पुन:संगठन से संबद्ध अन्यान्य वषयों, जेसे - केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते, उनकी सेवा की स्थितियों आदि के संबध में भी सन् 1946 से 1950 तक अनेक आयोगों और स मतियों द्वारा वचार कया गया और इस प्रकार सरकार को अनेक ववरण प्राप्त हुए जैसे 1545-46 में केंद्रीय प्रशासन के पुन:संगठन से संबं धत टाटेनहम रिपोर्ट (Tottenham), 1947 में केंद्रीय वेतन आयोग के ववरण

तथा 1949 में सरकार की संरचना के संबंध में गोपाल स्वामी आयंगार रिपोर्ट। सन् 1950 से लोकसेवाओं से संबद्ध अन्यान्य वषयों जैसे, - नई सेवाओं की स्थापना, राज्यों के वलयन के बाद सेवाओं की एकता तथा उनका पुन:संगठन, उनकी रचना, प्र क्रया आदि पर तदर्थ स मतियों, भारत सरकार के तत्संबंधी वभागों, योजना आयोग, लोक सभा की प्राक्कलन स मतियों, प्रो॰ एपुलबी और अशोक चंडा जैसे वदेशी और भारतीय समीक्षकों, नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक सेवा संस्थान (इं डयन इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक ऐड मनिस्ट्रेशन) तथा मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑव ऐड मनिस्ट्रेशन) आदि द्वारा वचार वमर्श और सर्वेक्षण कया गया। अभी हाल में कुछ महत्वपूर्ण वषयों पर गंभीरतापूर्वक वचार कया गया है; जैसे, - वेतन निर्धारण का प्रश्न और केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तें (जाँच आयोग - 'द् वतीय वेतन आयोग' 1957-59), लोकसेवाओं में भ्रष्टाचार (संतानम् क मटी रिपोर्ट, 1964) और प्रशासकीय दुर्व्यवहारों के वरुद्ध शकायतों की सुनवाई की प्र क्रया आदि। उपर्युक्त वषय तथा प्रशासकीय सुधारों से संबद्ध व्यापक प्रश्न भारत सरकार के गंभीर सर्वेक्षण के वषय रहे हैं। राजकीय सेवाओं के संबंध में इसी प्रकार के अध्ययन व भन्न राज्यों में भी कए गए हैं।

- 1947 से 50 की अव ध में इन सेवाओं की स्थापना तथा तत्संबंधी अन्य निश्चयों के साथ ही साथ सं वधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लए एक सं वधान का निर्माण कर दिया और व भन्न रियासतों के वलयन के बाद देश में राजनीतिक एकता स्था पत हो

गई। सं वधान का स्वरूप, जिसके अधीन ये लोकसेवाएँ थीं, इन राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर स्थिर कया गया था। सं वधान का आदर्श यह था क राज्य एक शक्तिसंपन्न प्रजातांत्रिक संगठन हो और वह धर्मनिरपेक्ष तथा कल्याणकारी राज्य हो, इस आशय के वचार सं वधान की प्रस्तावना तथा मूला धकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वोंवाले अध्याय में वस्तृत रूप से सन्निहित कए गए हैं। इस आदर्श की स द्ध के लए सरकार के कार्यों में आमूल परिवर्तन की अपेक्षा थी, क्यों क राज्य को अब समाजसुधार की दिशा में स क्रय कार्य करना था तथा समाजवाद की बुनियाद पर राजनीतिक प्रजातंत्र और व ध व्यवस्था के अनुकूल द्रुतगति से आ र्थक वकास की ओर अग्रसर होना था। इसके साथ ही सं वधान ने ब्रिटिश संयुक्त राज्य के आदर्श पर प्रशासनिक कार्यों की संसदीय समीक्षा की भी व्यवस्था की। राजनीतिक कार्यपा लका (या मंत्रिमंडल) को संसद् अथवा वधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। संसद् या वधान सभा प्रश्न पूछ सकती थी, प्रस्ताव तथा निश्चय पारित कर सकती थी, सरकार की नीतियों पर बहस कर सकती थी और सार्वजनिक आय व्यय या प्राक्कलन स मति, सरकारी निश्चय, या चका, गौण व ध व्यवस्था और सार्वजनिक कार्य संबंधी व भन्न स मतियों के माध्यम से सरकार के क्रया कलापों का सर्वेक्षण कर सकती थी।

- संपूर्ण देश में एक स्वतंत्र न्यायपा लका की स्थापना की गई जिसके हाथ में इतनी शक्ति दी गई क वह सं वधान के प्रतिकूल व धयों को तथा प्रशासन के ऐसे आदेशों

को रद्द कर सकती थी जो असंवैधानिक हों, अवैध हों या दुर्भावना से प्रेरित होकर जारी कए गए हों।

- सरंचना या गठन की दृष्टि से भारत एक संघ राज्य के रूप में स्था पत हुआ। अतएव यहाँ दो प्रकार की सेवाएँ प्रच लत हुई - प्रथम, प्रत्येक संघटक राज्य में तथा दूसरी सेवाएँ केंद्रीय कार्यों के संपादनार्थ। कुछ भी हो, अ खल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय प्रशासकीय सेवा (I.A.S.) और भारतीय पु लस सेवा (I.P.S.) की स्थापना की गई। भारतीय नागरिक सेवाओं (I.C.S.) का भारतीय प्रशासकीय सेवाओं में वलय कर दिया गया यद्य प उनकी सेवास्थितियों तथा अ धकारों की सुरक्षा की गई। सं वधान ने अपेक्षाकृत अ धक संख्या में अ खल भारतीय सेवाओं की स्थापना की व्यवस्था की ही थी, 1955 के राज्य पुन:संगठन आयोग ने भी इसकी सफारिश की। दिसंबर 1962 में एक संसदीय निश्चयानुसार भारतीय अ भयंता (इंजीनियर) सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय च कत्सा और स्वास्थ्य सेवा की भी स्थापना की सफारिश की गई है।

- फर, यद्य प राज्यों का ढाँचा संघात्मक बनाया गया था, तथा प सार्वजनिक सेवारत कर्मचारियों की मनमानी पदच्युति, स्थानांतरण, पदों के न्यूनीकरण आदि से बचाव के लए सारे देश में एक जैसी व्यवस्था सं वधान द्वारा की गई। समस्त देश में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर भरती और नियुक्ति लोकसेवा आयोगों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई। सेवा की स्थितियों, उन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक

कार्यवाही तथा सेवाकाल में हुई क्षति अथवा ववाद आदि की अवस्था में इन कर्मचारियों के अ धकारों से संबं धत नियमादि बनाने के संबंध में भी इन आयोगों की राय लेना आवश्यक माना गया।

- सं वधान द्वारा यह भी उपबं धत कया गया क लोकसेवाओं में स्थान पाने का अवसर और स्वतंत्रता सबको समान रूप से सुलभ हो। यह वषय इतना महत्वपूर्ण समझा गया क सं वधान के मूला धकार संबंधी अध्याय में समा वष्ट कया गया। लोकसेवाओं में केवल अनुसू चत और पछड़ी जातियों या जनजातियों के लए स्थान सुर क्षत रखने की व्यवस्था की गई। यह भी निश्चय कया गया क संसद अथवा संबं धत राज्य का वधानमंडल सेवाओं या पदों की स्थापना करेगा और इनमें नियुक्ति तथा सेवा की स्थिति आदि से संब धत नियमों का निर्माण करेगा। जब तक ऐसा न हो सके तब तक कार्यपा लका को यह अ धकार दिया गया क वह इन वषयों से संबंद्ध निश्चय स्वत: कर ले और नियम बना ले जिनका प्रभाव व ध या कानून के समान ही माना जाए। 1947 से पूर्व प्रच लत नियम जारी रखे गए।

- यहाँ आ र्थक ढाँचे पर भी वचार करना अपे क्षत है। आय के साधन जुटाना, केंद्र या राज्य की समे कत नि ध (Consolidated fund) में सार्वजनिक कोश का न्यास, सार्वजनिक कोश का व्यय आदि वषयों के संबंध में निश्चय करने के लए वधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक मानी गई। कंट्रोलर या आ डटर जनरल द्वारा

निर्धारित प्रपत्र के अनुसार इनका लेखा या हिसाब रखना आवश्यक बनाया गया। आ डटर जेनरल का यह भी काम था क वह अ खल देशीय स्तर पर इनकी जाँच करके अपना ववरण राष्ट्रपति या राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करे। वधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष यह ववरण उपस्थित करना अनिवार्य माना गया और ऐसी व्यवस्था की गई क सदन की वत्त स मति द्वारा इनकी समीक्षा की जाए। इस प्रकार यह प्र क्रया ऐसी बनाई गई क वत्त वभागों के अतिरिक्त संसद और कंट्रोलर तथा आ डटर जनरल यह निश्चय कर सकें क राजस्व की प्राप्ति कम खर्च में योग्यतापूर्वक की जा रही है और उसका उपयोग भी समु चत रूप से हो रहा है।

- इस प्रकार स्वयं सं वधान से ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई जिससे लोकसेवाएँ संसद् और न्यायपा लका के प्रति उत्तरदायी और अनुप्रवृत्त रहें। उद्देश्य यह था क संसद् में समाचारपत्रों तथा सार्वजनिक संस्थाओं में आलोचना तथा भंडाफोड़ का भय तथा न्यायालय में प्रशासकीय आदेशों को चुनौती दिए जाने का भय लोकसेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों की परंपरागत निरंकुशता तथा नौकरशाही प्रवृत्ति को संतु लत तथा स्वस्थ बनाने में सहायक हो।

- 1950 के बाद वक सत लोकसेवाओं की संरचना पर वचार करने से स्पष्ट है क भारत में तीन प्रकार की सेवाएँ प्रच लत हैं - केंद्रीय सेवाएँ, राज्यसेवाएँ और अ खल भारतीय सेवाएँ जो दोनों क्षेत्रों में

- कार्य करती हैं। जैसा क ऊपर बतलाया गया है, अ खल भारतीय सेवाएँ भारतीय नागरिक सेवा (आई.सी.एस.) तथा भारतीय पु लस सेवा (आई.पी.एस.) की उत्तरा धकारिणी ही हैं। शासन का संघीय रूप स्था पत हो जाने पर भी ये कायम रखी गई हैं जिससे देश की एकता को बल मले, सुनियोजित प्रशासकीय वकास संभव हो सके, राज्यों में उच्च-योग्यता-युक्त प्रतिभासंपन्न पदा धकारी नियुक्त हो सकें, राजकीय प्रशासन में पारंगत इन पदा धकारियों के सहयोग से केंद्रीय सरकार केंद्रीय स्तर पर अ खल भारतीय नीतियों का निर्धारण करने में सक्षम हो सके। केंद्र तथा राज्य दोनों में सार्वजनिक कर्मचारी निय मत सेवाओं के रूप में संघटित कए जा सकते हैं या तात्का लक और अस्थायी पदों पर काम कर सकते हैं। लोकसेवाएँ अथवा लोकसेवकों के पद तकनीकी हो सकते हैं या गैर तकनीकी। ये सभी सेवाएँ स्थूल रूप में उच्च, अधीनस्थ और निम्न श्रे णयों में याने प्रथम द् वतीय, तृतीय और चतुर्थ श्रे णयों में वर्गीकृत की जा सकती हैं, यद्य प एक ही वर्ग में भी वेतन और प्रतिष्ठा की मात्रा में अंतर अब भी कायम है। उच्चतम और निम्नतम वर्गों के पदा धकारियों में वेतन का जो अंतर था उसे थोड़ा कम करने का प्रयत्न अवश्य कया गया है। अब भी संपूर्ण वेतनरा श का अ धकांश लोकसेवा के उच्च और मध्यवर्गीय कर्मचारियों में वतरित होता है। सन् 1947 में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सात लाख से कुछ ही अ धक थी। 1961 तक यह संख्या बढ़ते बढ़ते बीस लाख से भी अ धक हो गई, फर भी लोकसेवाओं का स्वरूप या ढाँचा पहले जैसा ही है। राजपत्रित और अराजपत्रित तथा

स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का भेद अब तक प्राय: उसी अनुपात में चलता आ रहा है।

- अ खल भारतीय स्तर की भारतीय प्रशासकीय सेवाएँ तथा भारतीय वदेशी सेवाएँ (I.F.S.) दो अत्यंत सम्मानित सेवाएँ हैं। दूसरी अर्थात् आई.एफ.एस. अपेक्षाकृत नए प्रकार की सेवाएँ हैं, यद्य प भारतीय नागरिक सेवाओं (I.C.S.) में कार्य करनेवाले कुछ कर्मचारी इन सेवाओं में भी प्रगृहीत कर लए गए हैं। भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के कई वभाग कए जा सकते हैं -
    - (क) भारतीय नागरिक सेवाओं के अव शष्ट उत्तरा धकारी, जिनकी संख्या वर्तमान में दो सौ से कम ही हैं,
    - (ख) युद्धसेवाओं में नियुक्त कर्मचारी,
    - (ग) आपत्कालीन अथवा वशेष प्रयोजनों के लए नियुक्त कर्मचारी, (1947 और 1956-57 में नियुक्त);
    - (घ) 1948 के बाद निय मत रूप से नियुक्त कर्मचारी और
    - (ङ) राज्य सेवाओं से क्रमश: उन्नतिप्राप्त कर्मचारी, जिनमें 1958 के बाद से जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी भी सम्मि लत हैं।
- भारतीय प्रशासकीय सेवाओं में नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या संप्रति में लगभग 2300 है, यद्य प कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इससे न्यूना धक दो सौ

कम होगी। भारतीय प्रशासकीय सेवाओं और भारतीय वदेशी सेवाओं में नियुक्ति एक कड़ी प्रतिद्वंद्वात्मक परीक्षा के आधार पर होती है, अंशत: इसी प्रकार की परीक्षा प्रथम वर्ग की अप्रा व धक सेवाओं तथा द् वतीय वर्ग की कुछ सेवाओं में भी होती है। उनका वेतनमान अन्य सेवाओं की तुलना में अ धक है। यद् य प केंद्रीय स चवालय में, वत्त और व्यापार वभाग को सम्मि लत करके भारतीय नागरिक सेवाओं के कर्मचारियों के लए स्थान सुर क्षत रखने की व्यवस्था अब नहीं है, तथा प स चवालय के प्राय: सभी उच्चतर पद भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के स्थानापन्न कर्मचारियों के हाथ में हैं हालाँ क केंद्रीय स चवालय सेवा के पदा धकारी अब अंडर सेक्रेटरी या डप्टी सेक्रेटरी के अ धकतर पदों पर कार्य कर रहे हैं। संयुक्त स चव (ज्वाइंट सेक्रेटरी) के 75 प्रतिशत पदों तथा केंद्रीय स चवालय के इससे भी अ धक पदों पर भारतीय नागरिक सेवाओं अथवा भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के कर्मचारी आसीन हैं। 1959 से एक केंद्रीय प्रशासकीय सेवा के श्रेष्ठ कर्मचारी होते हैं। इसका उद्देश्य यह है क वशेष महत्व के पदों पर योग्य व्यक्ति बिना कसी व्यवधान के मलते जाएँ। इसी तरह औद्यो गक व्यवस्था निकाय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है क उद्योग और सार्वजनिक कार्यों के योग्य पदा धकारी सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकें। भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के कार्यों में जो परिवर्तन हुए ये भी उल्लेखनीय हैं। जहाँ इसकी पूर्ववर्तिनी भारतीय नागरिक सेवा का प्रधान उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय स चवालय अथवा जिला

प्रशासन के माध्यम से राज्य की निय मत व्यवस्था करना था, वहीं भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के जिम्मे तरह तरह के कार्य रहते हैं। जिले तथा राज्य की निय मत व्यवस्था अब भी उनका एक प्रधान कार्य है परंतु भारतीय प्रशासकीय सेवा के बहुसंख्यक कर्मचारी अन्यान्य कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जैसे - आ र्थक वकास, पंचायती राज, भू म-सुधारसंबंधी व्यवस्था तथा सरकार के व भन्न वभागों, प्रा वधानिक संघो अथवा सरकारी संस्थानों द्वारा संचा लत औद्यो गक एवं अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य। वकासगति की तीव्रता के कारण इन सेवाओं के कार्यभार निरंतर बढ़ता जा रहा है। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्य में स्था पत नवीन प्रकार के पंचायती राज के प्रचलन से जिला स्तर पर द्वैध प्रशासन दिखलाई पड़ता है। वहाँ पर वकास कार्य और समान्य प्रशासन अलग अलग कर दिए गए हैं। प्रशासन के ये दोनों वभाग भारतीय प्रशासकीय सेवा के पदा धकारियों के अधीन रखे गए हैं। प्रथम वभाग का प्रधान मुख्य प्रशासनिक अ धकारी तथा द् वतीय वभाग का प्रधान जिलाधीश बनाया गया है। 15 अगस्त 1962 से प्रच लत इस निश्चय के अनुसार महाराष्ट्र में प्रशासकीय सेवा में 25 अतिरिक्त पदा धकारियों की आवश्यकता होती अर्थात् प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त पदा धकारी की नियुक्ति अपे क्षत थी। अतएव इन नए कार्यों के वकास से स्वाभा वक ही था क यह सेवा सामान्य प्रकृति की हो जाए, जो क भारतीय नागरिक सेवा या भारतीय प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य था। इस उद्देश्य के अनुकूल

प्रवेश के पूर्व मध्यवर्ती स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर गंभीर प्र शक्षण की व्यवस्था की गई। प्र शक्षण की अव ध में प्र शक्षार्थी की अवाप्ति अथवा लोकसेवा के प्रारं भक सद्धांतों में निष्णात कुशल पदा धकारी की प्राप्ति पर ही बल नहीं दिया जाता था, वरन् लोकसेवा के प्रति समु चत प्रवृत्ति की भी अपेक्षा की जाती थी।

- प्राय: यह परामर्श दिया जाता है क उत्तरदायी और अ धक प्रभावकारी होने के लए कसी शासनतंत्र को उस समाज का प्रतिनि ध होना चाहिए जिसकी वह सेवा करता है। संसदीय लोकतंत्र में तो इसकी और भी अपेक्षा है। यह बात उत्साहवर्धक है क जहाँ तक भारत में उच्चतर प्रशासकीय पदा धकारियों का प्रश्न है, उनमें यह स्थिति क्रमश: शीघ्रता के साथ बढ़ रही है। सन् 1960 में राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी में तत्कालीन प्रशासकीय सेवा के 2010 कर्मचारियों में से 615 कर्मचारियों की एक अध्ययन गोष्ठी उनकी सामाजिक पृष्ठभू म का पता लगान के लए आयोजित की गई थी। यह पाया गया क असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के अतिरिक्त समस्त देश का पूर्ण प्रतिनि धत्व इस सेवा में हो रहा था। यह क्षेत्रीय असंतुलन 1960 के बाद की गई नियुक्तियों में एक सीमा तक दूर कया जा सका है और उक्त राज्यों का प्रतिनि धत्व पर्याप्त बढ़ गया है। यह कहना असत्य है क इस सेवा में केवल संपन्न व्यक्तियों, पब्लिक स्कूलों में शक्षा प्राप्त करनेवालों तथा वदेशों में योग्यता हा सल करनेवालों का प्रतिनि धत्व होता है। सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है क इन सेवाओं में तीन सौ रुपए मा सक से भी कम आयवाले परिवरों के प्रतिनि धत्व में निश्चित रूप से वृ द्ध हुई है। सन्

1961 में उनकी संख्या 31 प्रतिशत से अ धक थी, यद्य प कुल नियुक्त होनेवाले लोगों में अब भी बड़ी संख्या उन मध्यमवर्गीय परिवारों के प्रवेशा र्थयों की थी जिनकी मा सक आय तीन सौ से आठ सै रुपए के बीच है। फर, इस दशक के केवल दस प्रतिशत ऐसे लोग ही सेवा में प्र वष्ट हुए हैं जिनकी शक्षादीक्षा प्र सद्ध पब्लिक स्कूलों में हुई है। जो हो, यह सत्य है क इस सेवा में नियुक्त होनेवालों में से अ धकांश के अ भभावक सरकारी कर्मचारी हैं। नियक्त होनेवालों में अध्यापकों की संख्या भी काफी अच्छी थी। इनमें कुछ वश्व वद्यालय अब भी अन्य वश्व वद्यालयों की अपेक्षा अ धक प्रतिनि धत्व पा जाते थे। मद्रास वश्व वद्यालय का स्थान अब भी प्रथम था जिसके वद्यार्थी भारतीय नागरिक सेवाओं में 27 प्रतिशत से भी अ धक स्थान प्राप्त कर लेते थे। द् वतीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान क्रमश: दिल्ली, पंजाब और इलाहाबाद वश्व वद्यालय का था। संभवत: यह देश में शक्षास्तर की व भन्नता का सूचक हो। इस सेवा में समाज के हीन वर्गों वशेषत: अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों का प्रतिनि धत्व क्रमश: बढ़ता गया है। केवल सन् 1961 में हुई नियुक्तियों में ही 100 में से 32 पदा धकारी इन वर्गों से लए गए थे।

- सन् 1950 के बाद से लोकसेवा के प्रवेशा र्थयों तथा इनमें नियुक्त पदा धकारियों के प्र शक्षणार्थ अनेक प्र शक्षण संस्थाएँ वक सत हुईं। सन् 1959 में 'आई.ए.एस. ट्रेंनिग स्कूल' का पुनर्गठन 'नेशनल ऐकेडमी ऑव ऐड मनिस्ट्रेशन' के रूप में हुआ। यह एक ऐसी आ धकारिक संस्था थी जो अ खल भारतीय सेवाओं में प्रत्यक्षत:

नियुक्त प्रवेशा र्थयों को प्र श क्षत करती थी। केंद्रीय अप्रा व धक सेवाओं में नियुक्त होनेवाले लोगों को भी यही प्र श क्षत करती थी। इस राष्ट्रीय अकादमी का वकास आवश्यकतानुरूप हुआ। अपने प्र शक्षण के कार्यक्रम में इसने एक वकासमान देश की अपेक्षाओं को ध्यानस्थ रखा है। इसी प्रवृत्ति से यह उपर्युक्त रचना वधान से युक्त हो कार्य करती है। प्र शक्षण की अव ध में सं वधान, लोकसेवा के सद्धांत, व ध या कानून, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भाषा वज्ञान तथा अन्यान्य संबद्ध वषयों का अध्ययन अनिवार्य होता है। साथ ही प्र शक्षार्थी को इन सेवाओं के इतिहास और परंपराओं से परि चत कराते हुए उसे इनके योग्य बनाया जाता है। उसे इस प्रकार की शक्षा दी जाती है क उसमें स्वस्थ चंतन तथा अच्छी आदतों को अपनाने की प्रवृत्ति वकसति हो। प्र शक्षार्थी को सदैव परामर्श दिया जाता है क वह संबद्ध वषय तथा अन्य समस्याओं पर संतु लत दृष्टिकोण से वचार करे और मत्रों के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति अपने में वक सत करे। इस अव ध में उसमें यह प्रवृत्ति भी वक सत की जाती है क वह दूसरी सेवाओं का महत्व मनोयोगपूर्वक समझे। प्र शक्षार्थी को रचनात्मक अनुभव और अध्ययन के लए बाहर ले जाया जाता है। इस प्रकार अब तक वर्तमान वेतन तथा सम्मानदृष्टि की असमानता के बावजूद भी उनमें सहयोग तथा समस्त लोकसेवाओं में मनोयोगपूर्ण रु च लेन की प्रवृत्ति वक सत की जाती है। यह अकादमी मध्यम स्तर के प्रशासकों की आवश्यकता पर भी ध्यान रखती है,

तथा तदर्थ व्यावसायिक महत्व के वषयों के गहन अध्ययन के लए प्रबोधन पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। वभागीय कर्मचारियों, प्रत्यक्ष रूप से भरती कए गए प्रवेशा र्थयों तथा पुनर्बोध पाठ्यक्रमवालों द्वारा अकादमी में जो अनुसंधानकार्य संपन्न होता है उसे अकादेमी की मुख पत्रिका में प्रका शत कराया जाता है जिसमें लोक-सेवा-संबंधी महत्वपूर्ण ववरण और दृष्टिकोण रहते हैं।

- हैदराबाद स्थित ऐड मनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज व इं डयन इंस्टीच्यूट ऑव कम्यूनिटी डेवलपमेंट, नई दिल्ली स्थित इं डयन इंस्टीच्यूट ऑव पब्लिक ऐड मनिस्ट्रेशन तथा व भन्न राज्यों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा संचा लत अनेक प्र शक्षण संस्थान, औद्यो गक व्यवस्था, सामुदायिक वकास तथा प्रशासन से संबद्ध अन्यान्य वषयों का प्र शक्षण करते हैं तथा इन वषयों में गहन अनुसंधान करने के लए प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। इन संस्थानों में कया गया अ धकांश कार्य उच्चस्तर का होता है।

- बहुधा एक प्रश्न यह पूछा जाता है क आई.सी.एस. की अनुवर्तिनी आई.ए.एस. में सेवारत अ धकारी क्या योग्यता, कार्यक्षमता, निष्ठा तथा स्वतंत्रता आदि उन गुणों से युक्त हैं जिनके कारण आई.सी.एस. से घृणा करनेवाले लोग भी उनकी प्रशंसा कया करते थे, भले ही वे उन्हें वदेशी तथा भारत वरोधी समझते रहे हों? यदि दोनों प्रकार की सेवाओं की व भन्न स्थितियों को ध्यान में रखा जाए तथा

भारतीय प्रशासकीय सेवा की संरचना और उसके उस राजनीतिक ढाँचे पर वचार कया जाए जिसमें छोटी से छोटी असफलता भी आलोचना, प्रत्यालोचना का वषय बन जाती है, तो निश्चित रूप से उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होगा। यह भी उल्लेखनीय है क स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद की संघर्षमय स्थिति में भारतीय नागरिक सेवा के जो पदा धकरी कार्यरत थे उन्होंने देश के राजनीतिक नेतृत्व में कम सहायता नहीं प्रदान की। उन्होंने व भन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देकर सत्तापरिवर्तन को प्रभावकारी बनाया तथा भारतीय प्रशासकीय सेवा के नए सहयो गयों के साथ उन लोगों ने प्रारं भक वकास के कार्य में अपने प्रशासकीय दायित्वों का निर्वाह कया।

- कर्मचारियों की नौकरशाही (निरंकुश व्यवहार), लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार की व्यापक भर्त्सना के बावजूद हमारे प्रशासकीय संगठन और लोकसेवाओं के अ धकारी नैतिकता का उच्चादर्श बनाए रखने और कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठ रहने के लए प्रयत्नशील रहे हैं। अनेक निष्पक्ष पर्यवेक्षकों द्वारा यह बात स्वीकार की गई है। इसका तात्पर्य यह नहीं क इस क्षेत्र में सुधार या परिवर्तन के लए गुंजाइश नहीं है, तथा प इस संबंध में अनावश्यक रूप से चंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

स वल सेवाओं का वकासक्रम

- प्राचीन भारत में यद्य प आधुनिक अर्थ एवं आयाम वाली स वल सेवा के स्पष्ट उदाहरण नहीं मलते फर भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप स वल सेवाओं का गठन कया गया था। मौर्य प्रशासन में स वल सेवाओं का संकेत मलता है, जिसमें 'अध्यक्ष', 'राजुक', 'पण्याध्यक्ष', 'सीताध्यक्ष' जैसे स वल सेवा अ धकारी महत्त्वपूर्ण भू मका में थे। मुगल काल के दौरान अकबर ने एक भू म राजस्व प्रणाली प्रारंभ की जिसके कार्यान्वयन के लये नए पदों का सृजन कया गया।

- भारत में स वल सेवा के वर्तमान ढाँचे की शुरुआत लार्ड कार्नवा लस द्वारा की गई। कार्नवा लस ने इन सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया। 1857 में मैकाले स मति की सफारिशों के आधार पर स वल सेवाओं में चयन के लये प्रतियोगी परीक्षा को लागू कया गया।
- स्वतंत्रता के बाद भारतीय स वल सेवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने का साधन बनाया गया। इन सेवाओं ने 'स्टील फ्रेम' की तरह कार्य करते हुए भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने का कार्य कया।
- वर्तमान में भारतीय सेवाओं की प्रकृति वनियामक के स्थान पर समन्वयक की हो गई है। सुशासन की बढ़ती मांगों, सटिज़न चार्टर, सूचना का अ धकार, अ धकारों के प्रति जागरूकता, सेवा प्रदाता राज्य की अवधारणा आदि स्थितियों ने स वल सेवाओं की

तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और दक्षता में वृ द्ध कर उसे समाजिक-आ र्थक न्याय की दिशा में उन्मुख कया है।

लार्ड कार्नवा लस (गवर्नर-जनरल, 1786-93) पहला गवर्नर-जनरल था, जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ कया तथा उन्हें संगठित कया। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लये निम्न कदम उठाये-

- वेतन में वृ द्ध।
- निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध।
- अ धकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- वरिष्ठता (seniority) के अधर पर तरक्की (Promotion) दिए जाने को प्रोत्साहन।

वर्ष 1800 में, वैलेजली (गवर्नर-जनरल, 1798-1805) ने प्रशासन के नये अ धकारियों को प्र शक्षण देने हेतु फोर्ट व लयम कालेज की स्थापना की। वर्ष 1806 में कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने वैलेजली के इस कालेज की मान्यता रद्द कर दी तथा इसके स्थान पर इंग्लैण्ड के हैलीबरी (Haileybury) में नव-नियुक्त अ धकारियों के प्र शक्षण हेतु ईस्ट इं डया कॉलेज की स्थापना की गयी। यहां भारत में नियुक्ति से पूर्व इन नवनियुक्त प्रशासनिक सेवकों को दो वर्ष का प्र शक्षण लेना पडता था।

1853 का चार्टर एक्ट

इस एक्ट के द्वारा नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया तथा सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने लगीं जिसमें कसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया।

कंपनी के उच्च पदों में नियुक्ति के लये प्रारंभ से ही भारतीयों के लये द्वार पूर्णतया बंद थे। कार्नवा लस का वचार था क "हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है।" 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा 500 पाउंड वा र्षक आय वाले सभी पद, कंपनी के अनुबद्ध अ धकारियों (Covenanted Servents) के लये आर क्षत कर दिये गये थे। कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के निम्न कारण थे-

- अंग्रेजों का यह वश्वास क ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लये अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभालना चाहिये।
- अंग्रेजों की यह धारणा क भारतीय, ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अ वश्वसनीय एवं असंवेदनशील हैं।
- यह धारणा क जब इन पदों के लये यूरोपीय ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उनके बीच ही इन पदों को प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब ये पद भारतीयों को क्यों दिये जायें।

यद्य प 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के पदों हेतु भारतीयों के लये भी प्रवेश के द्वार खोल दिये गये कंतु वास्तव में कभी भी इस प्रावधान का पालन नहीं कया गया। 1857 के पश्चात, 1858 में साम्राज्ञी वक्टोरिया की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया

क सरकार स वल सेवाओं में नियुक्ति के लये रंग के आधार पर कसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी तथा सभी भारतीय स्वतंत्रतापूर्वक अपनी योग्यतानुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होगे। कंतु इस घोषणा के पश्चात भी सभी उच्च प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लये ही सुर क्षत रहे। भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सद्धांत का दिखावा करने के लए डप्टी मैजिस्ट्रेट तथा डप्टी कलेक्टर के पद सृजित कर दिये गये, जिससे भारतीयों को लगा क वे इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं कंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही।

भारतीय स वल सेवा अ धनियम, 1861 Indian Civil Services Act 1861

इस अ धनियम द्वारा कुछ पद अनुबद्ध स वल सेवकों के लये आर क्षत कर दिये गये कंतु यह व्यवस्था की गयी क प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लये अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैण्ड में आयोजित की जायेगी, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन इत्यादि भाषाओं के वषय होगे। प्रारंभ में इस परीक्षा के लये आयु 23 वर्ष थी। तदुपरांत यह 23 वर्ष से, 22 वर्ष (1860 में), फर 21 वर्ष (1866 में) और अंत में घटाकर 19 वर्ष (1878) में कर दी गयी।

1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इं डयन स वल स र्वस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त कया।

1878-79 में, लार्ड लटन ने वैधानिक स वल सेवा (Statutory Civil Service) की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार, प्रशासन के 1/6 अनुबद्ध पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के लये प्रांतीय सरकारें सफारिश करेंगी तथा वायसराय एवं भारत-स चव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जायेगी। इनकी पदवी और वेतन संश्रा वत सेवा से कम होता था। ले कन यह वैधानिक स वल सेवा असफल हो गयी तथा 8 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग

1885 में अपनी स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने मांग की क-

- इन सेवाओं में प्रवेश के लये आयु में वृ द्ध की जाये। तथा
- इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन एवं भारत दोनों स्थानों में कया जाये।

लोक सेवाओं पर ए चसन कमेटी, 1886 (Aitchison Committee on Public Services, 1886)

इस कमेटी का गठन डफरिन ने 1886 में कया। इस स मति ने निम्न सफारिशें की-

- इन सेवाओं में अनुबद्ध (Covenanted) एवं अ-अनुबद्ध (uncovenanted) शब्दों को समाप्त कया जाये।
- स वल सेवाओं को तीन भागों में वर्गीकृत कया जाये-

1. स वल सेवाः इसके लये प्रवेश परीक्षायें इंग्लैण्ड में आयोजित की जायें।

2. प्रांतीय स वल सेवाः इसके लये प्रवेश परीक्षायें भारत में आयोजित की जाये।

3. अधीनस्थ स वल सेवाः इसके लये भी प्रवेश परीक्षायें भारत में आयोजित की जाये।

- स वल सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाये। 1893 में, इंग्लैण्ड के हाऊस आफ कामन्स में यह प्रस्ताव पारित कया गया की इन सेवाओं के लए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों में कया जायेगा। कंतु इस प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं कया गया। भारत स चव कम्बरले ने कहा क " स वल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपीयों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे त्यागा नहीं जा सकता"।

भारतीय लोकतंत्र में स वल सेवाओं की भू मका

- स वल सेवा का सर्वप्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यपा लका द्वारा नि र्मत नीतियों को कार्यान्वित करना है।

- स वल सेवक राजनीतिक कार्यपा लका को नीति-निर्माण में परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान कर महत्त्वपूर्ण भू मका निभाते हैं।
- राजनीतिक कार्यपा लका अथवा मंत्रियों द्वारा अपने कई अ धकारों का स वल सेवकों को प्रत्यायोजन (delegation) कर दिया जाता है। अतः इन पर स वल सेवक नियम और वनियम तैयार करते हैं।

इस प्रकार, स वल सेवक भारत में सामाजिक समानता व आ र्थक वकास जैसे कल्याणकारी लक्ष्यों तथा नीति निदेशक तत्त्वों में उल्लि खत लक्ष्यों की प्राप्ति के लये मुख्य उपकरण सद्ध हुए हैं जिससे भारत एक सशक्त एवं मज़बूत लोकतंत्र के रूप में उभरा है।

सं वधान, शक्ति और उद्देश्य

नई अ खल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवाओं के गठन के लए सं वधान, राज्य सभा को दो-तिहाई बहुमत द्वारा इसे भंग करने की क्षमता द्वारा अ धक स वल शाखाओं को स्था पत करने की शक्ति प्रदान करती है। भारतीय वन सेवा और भारतीय वदेश सेवा, दोनों सेवाओं को संवैधानिक प्रावधान के तहत स्था पत कया गया है।

 स वल सेवकों की जिम्मेदारी भारत के प्रशासन को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक चलाने की है। यह माना जाता है क भारत जैसे वशाल और व वधतापूर्ण देश के प्रशासन को अपनी प्राकृतिक, आ र्थक और मानव संसाधनों के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। मंत्रालय के निर्देशानुसार नीतियों के तहत कई केंद्रीय एजें सयो के माध्यम से देश को प्रबं धत कया जाता है।

 स वल सेवाओं के सदस्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में प्रशासक के रूप में, वदेशी दूतावासों / मशनों में दूतों; कर संग्राहक और राजस्व आयुक्त के रूप में, स वल सेवा कमीशन पु लस अ धकारियों के रूप में, आयोगों और सार्वजनिक कंपनियों में

एक्जीक्यूटिव के रूप में और स्थायी रूप से संयुक्त राज्य के प्रतिनि धत्व और इसके एजें सयों के रूप में प्रतिनि धत्व करते हैं।

शासन प्रणाली

भारतीय स वल सेवा के प्रमुख

सर्वोच्च रैं कंग स वल सेवक गणतंत्र भारत के मंत्रिमंडल स चवालय का प्रमुख होता है जो क कैबिनेट स चव भी होता है। वह भारत गणराज्य की स वल सेवा बोर्ड का पदेन और अध्यक्ष होता है; भारतीय प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष और भारतीय सरकार के व्यापार नियम के तहत सभी नागरिक सेवाओं का अध्यक्ष होता है।

पद धारकों को यह सुनिश्चित करना होता है क स वल सेवा कौशल और क्षमता के साथ अ धग्रहित है और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करनी की क्षमता है और स वल सेवक एक निष्पक्ष और सभ्य वातावरण में काम करने के लए जवाबदेह है।

नाम	ति थयां
एन.आर. पल्लै	1950 से 1953
वाय.एन सुकथांकर	1953 to 1957

एम. के वेलोडी	1957 to 1958
वष्णु सहाय	1958 to 1960
बी.एन झा	1960 to 1961
वष्णु सहाय	1961 to 1962
एस. एस खेरा	1962 to 1964
धरम वीरा	1964 to 1966
डी. एस. जोशी	1966 to 1968
बी. सवरमन	1969 to 1970
टी. स्वामीनाथन	1970 to 1972
बी.डी. पाण्डे	1972 to 1977
एन.के. मुखर्जी	1977 to 1980
एस. एस. ग्रेवाल	1980 to 1981

सी.आर कृष्णास्वामी राव	1981 to 1985
पी.के.कॉल	1985 to 1986
बी. जी. देशमुख	1986 to 1989
टी.एन सेशन	1989 to 1989
वी.सी. पाण्डे	1989 to 1990
नरेश चंद्रा	1990 to 1992
एस. राजगोपाल	1992 to 1993
जफर सैफुल्लाह	1993 to 1994
सुरेन्द्र संह	1994 to 1996
टी.एस.आर सुब्रमण्यम	1996 to 1998
प्रभात कुमार	1998 to 2000
टी.आर. प्रसाद	2000 to 2002

कमल पांडे	2002 to 2004
बी.के. चतुर्वेदी	2004 to 2007
के.एम. चंद्रशेखर	
ए के सेथ	20११ से अब तक

संरचना

स वल सेवा का निर्माण एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। अ खल भारतीय स वल सेवा और केन्द्रीय स वल सेवा (दोनों ग्रेड ए और बी) केवल मौजूदा आधुनिक भारतीय स वल सेवा का गठन करता है। इसमें आवेदन करने वाले वश्व वद्यालय के स्नातक होते हैं जिनकी भर्ती ल खत और मौ खक परीक्षाओं की एक कठिन प्रणाली के माध्यम से कया जाता हैं। भारतीय स वल सेवा के संभा वत उम्मीदवारों (सभी तीन सेवाओं) और केन्द्रीय स वल सेवा (दोनों ग्रेड ए और बी) की नियुक्ति लोक संघ सेवा आयोग द्वारा कया जाता है।

अ खल भारतीय स वल सेवा

- भारतीय प्रशासनिक सेवा.

- भारतीय वन सेवा.
- भारतीय पु लस सेवा.

भारतीय प्रशासनिक सेवा

भारतीय प्रशासनिक सेवा (अंग्रेजी: Indian Administrative Service)IAS अ खल भारतीय सेवाओं में से एक है। इसके अ धकारी अ खल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अ धकारी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (तथा भारतीय पु लस सेवा) में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक स र्वस क मशन -UPSC) द्वारा आयोजित स वल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है तथा उनका आवंटन भारत सरकार द्वारा राज्यों को कर दिया जाता है।

आईएएस अ धकारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक और महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। सरकार के वेस्ट मंस्टर प्रणाली के बाद दूसरे देशों की तरह, भारत में स्थायी नौकरशाही के रूप में आईएएस भारत सरकार के कार्यकारी का एक अ वभाज्य अंग है, और इस लए प्रशासन को तटस्थता और निरंतरता प्रदान करता है।

भारतीय पु लस सेवा (IPS आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस / आईएफओएस) के साथ, आईएएस तीन अ खल भारतीय सेवाओं में से एक है - इसका संवर्ग केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्यों दोनों के द्वारा नियोजित है।

उप-कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के रूप में परिवीक्षा के बाद सेवा की पुष्टि करने पर, आईएएस अ धकारी को कुछ साल की सेवा के बाद जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में जिले में प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, और आमतौर पर, कुछ राज्यों में सेवा के १६ साल की सेवा करने के बाद, एक आईएएस अ धकारी मंडलायुक्त के रूप में राज्य में एक पूरे मंडल का नेतृत्व करता है। सर्वोच्च पैमाने पर पहुंचने पर, आईएएस अ धकारी भारत सरकार के पूरे वभागों और मंत्रालयों की का नेतृत्व करते हैं। आईएएस अ धकारी द् वपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनि धत्व करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर, वे वश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ए शयाई वकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजें सयों जैसे अंतरसरकारी संगठनों में काम करते हैं। भारत के चुनाव आयोग की दिशा में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लए प्रशासन के व भन्न स्तरों पर आईएएस अ धकारी एक महत्वपूर्ण भू मका निभाते हैं।[14]

राज्य सरकार के का र्मक वभाग द्वारा उक्त नियमावली के अनुसार सेवा संबंधी मामलों का क्रयान्वयन कया जाता है।पदोन्नति, अनुशासनिक कार्यवाही इत्यादि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा ही दिशानिर्देश तैयार की जाती है। इन मामलों पर का र्मक वभाग द्वारा भारत सरकार को आख्या/रिपोर्ट भेजी जाती है। जिस पर भारत सरकार वचार कर राज्य सरकार (का र्मक वभाग) को मामलों पर कार्यवाही करने का आदेश देती है। तत्पश्चात् का र्मक वभाग द्वारा भारत सरकार के आदेशों को जारी कर कार्यवाही की जाती है।

इतिहास

ईस्ट इं डया कंपनी के कब्जे के दौरान, स वल सेवा को तीन श्रे णयों में वभाजित कया गया - कोंगान्टेड, अनकोवेंटेड और वशेष स वल स र्वसेज। कोंगान्टेड सेवा, या ईस्ट इं डया कंपनी की स वल सेवा (हेइसीसीसीएस), में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश स वल सेवकों की सरकार में उच्च पदों पर कब्जा था। प्रशासन के निचले पायदान पर भारतीयों की प्र वष्टि को सुलझाने के लए अनकोवेंटेड स वल सेवा शुरू की गई थी। वशेष सेवा में भारतीय प्रशासनिक वभाग जैसे भारतीय वन सेवा, भारतीय पु लस, भारतीय राजनीतिक सेवा आदि शा मल थीं। इन सेवाओं के रैंक व भन्न तरीकों से भरे गए थे, भारतीय राजनीतिक सेवा अ धकारी आम तौर पर आईएआईसीसीएस/आईसीएस और ब्रिटिश भारतीय सेना से होते थे, भारतीय पु लस के कई रैंकों में ब्रिटिश भारतीय सेना के अ धकारी थे, ले कन १८९३ के बाद से, इसके संवर्ग भरने के लए एक अलग वा र्षक परीक्षा आयोजित की गई।

१८५८ में इं डयन स वल स र्वस (आईसीएस) द्वारा माननीय ईस्ट इं डया कंपनी की स वल स र्वस (आईएचआईसीसीएस) का अ धग्रहण कया गया। आईसीएस १८५८ और १९४७ के बीच की अव ध में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च नागरिक सेवा थी। आईसीएस को ब्रिटिश नियुक्तियों १९४२ में बनाए गए थे।

भारत सरकार अ धनियम, १९१९, भारत के स चव राज्य की अध्यक्षता वाली इम्पीरियल स र्वसेज के पारित होने के साथ, अ खल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में वभाजित कया गया था।

१९४७ में भारत के वभाजन के समय और अंग्रेजों के प्रस्थान के समय, इम्पीरियल स वल स र्वस को भारत और पा कस्तान के नए दलों के बीच वभाजित कया गया था। जिस भाग को भारत गया था उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम दिया गया था, जब क पा कस्तान जाने वाले हिस्से को पा कस्तान की केंद्रीय सुपीरियर सेवा का नाम दिया गया था।

भारतीय सं वधान के भाग १५ में अनुच्छेद ३१२ (२) के तहत आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का निर्माण कया गया था।

भारतीय आई ए एस अ धकारी

नाम	परीक्षा वर्ष	नियुक्ति वर्ष
सत्येंद्र टैगोर	१८६३	१८६४
रोमेश दत्त	१८६९	१८७१
बिहारी लाल गुप्ता	१८६९	१८७१

सुरेंद्रनथ बैनर्जी (बाद में अयोग्य घो षत)	१८६९	१८७१
श्रीपाद बाजी ठाकुर	१८६९	१८७१
आनंदराम बरुआ	१८७०	१८७२
कृष्ण गो वंद गुप्ता (बाद में सर)	१९७१	१८७३
बृजेंद्रनाथ डे	१८७३	१८७५
ज्ञानेंद्रनाथ गुप्ता	१८९०	१८९२
सतीश चंद्र मुखर्जी	१८९०	१८९२
अकबर हैदरी (वरिष्ठ) (बाद में सर)		
राजकुमार बैनर्जी (बाद में सर)		
करण चंद्र डे		
शरत कुमार घोष (बाद में सर)	१९००	१९०२
गुरुसहाय दत्त (ranked ७th in Part I and १st in Part II)	१९०३	१९०५

एम एस अकबर हैदरी (कनिष्ठ) (बाद में सर)	१९१७	१९१९
रामचंद टेकचंद शवदासानी	१९१९	१९२१
सुकुमार सेन	१९१९	१९२१
सत्येंद्रनाथ राय		
सुभाष चंद्र बोस (resigned १९२१) (ranked ४th)	१९२०	१९२१
गरिजा शंकर बाजपेयी (बाद में सर)		
ज्वाला प्रशाद श्रीवास्तव (बाद में सर)		
बद्रुद्दीन तैयबजी)		
सुशील कुमार डे		
सैबल गुप्ता		
अशोक मत्रा		
निर्मल कुमार मुखर्जी	१९४१	१९४३

कुमुद कांत राय

देबेश दास

आईएएस अ धकारी की जिम्मेदारियां

एक आईएएस अ धकारी द्वारा कए गए व शष्ट कार्य हैं:

- जब क्षेत्रीय पदों पर तैनात कया जाता है जैसे उप-कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, अपर जिला धकारी, जिला धकारी, मंलायुक्त, तब राजस्व के मामलों कोर्ट बनना, राजस्व को इक । करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना और क्षेत्र में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, अर्थात जनता और सरकार के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना।
- संबं धत मंत्रालय या वभाग के मंत्री प्रभारी के परामर्श से नीति के निर्माण और कार्यान्वयन सहित सरकार के प्रशासन और दैनिक कार्यवाही को संभालना
- केंद्रीय स चवालय में कैबिनेट स चव, स चव, अपर स चव (अतरिक्त स चव), संयुक्त सचुव व् राज्य स चवालय में मुख्य स चव, अपर मुख्य स चव/ वशेष मुख्य स चव व् प्रमुख स चव रहते हुए निति निर्माण में योगदान देना, संबं धत मंत्री व् मंत्रीमंडल से परामर्श करने के बाद।

कैरियर की प्रगति

आईएएस अ धकारी अपने करियर की शुरूआत अपने आवंटित कैडर में जिला प्र शक्षण से करते हैं। राज्य प्रशासन में, वे उप-जिला धकारी (एसडीएम) के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक जिले के पूरे तहसील का प्रभार दिया जाता है, एसडीएम के रूप में, उन्हें तहसीलके कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्रभार सौंपा जाता है, कानून-व्यवस्था के साथ-साथ उन्हें तहसील के सामान्य प्रशासन और वकास कार्यों के भी प्रभारी बनाया जाता है। जिला प्र शक्षण के बाद आईएएस अ धकारी तीन महीने की अव ध के लए केंद्र सरकार में सहायक स चवों के रूप में कार्यरत होते हैं। आईएएस अ धकारियों ने राज्य और केंद्र सरकारों में व भन्न सामरिक पदों पर और स्थानीय-स्व-सरकारों (नगर निगम / जिला परिषदों) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी कार्यरत कया।

भारतीय वन सेवा

भारतीय वन सेवा (भा वसे) एक को तीन अ खल भारतीय सेवा के अन्य दो की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पु लस सेवा की है। भा वसे 1966 में अ खल भारतीय सेवा अ धनियम 1951 के तहत बनाया गया था। बहरहाल, यह एक अच्छी तरह से आयोजित भारतीय वन सेवा, जो ब्रिटिश राज के दौरान 1863से 1935 के अस्तित्व का केवल एक पुनरुद्धार कया गया। भा वसे अ धकारियों की औपचारिक प्र शक्षण की शुरुआत वापस 1867 के लए जब पाँच उम्मीदवारों फ्रांस और जर्मनी में प्र शक्षण से

गुजरना करने के लए चयन कया गया ति थयाँ. यह 1885 के लए फ्रांस और रूस के बीच युद्ध के कारण एक छोटी तोड़ने के अलावा को जारी रखा. 1885 1905 तक, भा वसे परिवीक्षार्थी के प्र शक्षण कूपर के हिल, लंदन, जहां 173 अ धकारियों को प्र श क्षत कया गया पर आयोजित कया गया। 1895 और 1927 के बीच भा वसे परिवीक्षार्थी का प्र शक्षण, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ए डनबर्ग के वश्व वद्यालयों में आयोजित की गई थी। 1920 में, भारत सरकार, प्र शक्षण भारत में 1926 में शुरू की भा वसे परिवीक्षार्थी एक केंद्र और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लए परिणामी देहरादून में स्थित है क प्र श क्षत कया जा सकता है क ऐतिहा सक फैसला लया। यह 1932 है, जब अ धकारियों के लए मांग की कमी के कारण, यह था बंद होने तक जारी रहा. भारत अ धनियम 1935 की है, जो अनंतिम सूची में वानिकी हस्तांतरित की सरकार है, भा वसे प्र शक्षण की समाप्ति के परिणामस्वरूप. भा वसे अ धकारियों की सेवानिवृत्ति के साथ, प्र श क्षत foresters की माँग को और इस प्रकार भारतीय वन कालेज 1938 में पैदा हुआ था उत्पन्न हो. इस Superior वन सेवा अ धकारी, व भन्न राज्यों से भर्ती, IFC में इस प्रकार की सेवा के सब भारत चरित्र बनाए रखने प्र श क्षत कया गया। इस सेवा का मुख्य जनादेश वनों के प्रबंधन मुख्यतः लकड़ी के उत्पादों के लए एक निरंतर आधार पर यह दोहन करने के लए वैज्ञानिक था। यह इस समय आ गया है क जंगल के बड़े tracts स्थिति नियंत्रण में आरक्षण की प्र क्रया के माध्यम से भारतीय वन अ धनियम, 1927 के अंतर्गत लाया गया के दौरान कया गया।

जंगल के प्रबंधन की प्रांतीय सरकार के हाथों में 1935 में और वन वभाग ने संबं धत राज्य सरकारों के तहत देश के वन प्रबंध कर रहे हैं आज भी चली गई। वानिकी के वषय के बाद से वर्ष 1977 में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कया गया, केन्द्र सरकार ने वन के प्रबंधन की नीति के स्तर पर वशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भू मका निभाता है।

ब्रिटिश काल में के रूप में लकड़ी के उत्पादों के उत्पादन के लए वनों के प्रबंधन का मुख्य जोर भी 1976 में कृ ष पर राष्ट्रीय आयोग की सफारिशों में 1966.The भा वसे के पुनर्गठन के बाद जारी वन प्रबंधन में एक मील का पत्थर पारी थी। यह पहली बार है क लोगों की धारणा के बायोमास की जरूरत है और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वस्तार गति व धयों को संबो धत में ध्यान रखा गया था करने के लए शुरू की गई थी। निरंतर उपज की अवधारणा के लोगों में और वन क्षेत्रों के आसपास रहने की जरूरत है बायोमास के साथ अग्रानुक्रम में संबो धत कया। बराबर का प्रबंधन करने के लए जोर वास संर क्षत क्षेत्र में दिया गया था और देश की जैव व वधता संरक्षण. आज वहाँ पर 2700 भा वसे अ धकारियों ने देश में सेवा कर रहे हैं। राज्यों और केन्द्र शा सत प्रदेशों के व भन्न मंत्रालयों और संस्थाओं दोनों में राज्य और केन्द्र सरकार में काम देश के प्राकृतिक संसाधनों, उनमें से एक अच्छी संख्या में प्रबंध में 31 वन वभागों की सेवा के अलावा.

संघ लोक सेवा आयोग (संघ लोक सेवा आयोग), भारत सरकार के अधीन एक शरीर, एक प्रतियोगी परीक्षा वज्ञान की पृष्ठभू म के साथ स्नातकों के लए खुला आयोजित द्वारा भा वसे अ धकारियों रंगरूटों. ल खत परीक्षा योग्यता के बाद, उम्मीदवारों, दिल्ली प्राणी उद्यान में चार घंटों में पुरुषों और महिलाओं के लए 14 कमी के लए (25 कमी पैदल एक परीक्षण एक साक्षात्कार से गुजरना करने के लए) और एक मानक च कत्सा स्वास्थ्य परीक्षण कया है। चयनित अ धकारियों की शै क्षक पृष्ठभू म में वर्तमान रुझान स्नातकोत्तर वज्ञान, इंजीनियरिंग, कृ ष और वानिकी सहित उच्च योग्यता को दर्शाता है। अ धकारियों का एक काफी बड़ी संख्या में व भन्न वषयों में स्नातकोत्तर हैं।

भारतीय पु लस सेवा

भारतीय पु लस सेवा, जिसे आम बोलचाल में भारतीय पु लस या आईपीएस, के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार के अ खल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य दो अंग भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस और भारतीय वन सेवा या आईएफ़एस हैं जो ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत इंपीरियल पु लस के नाम से जाना जाता था।

भारतीय पु लस सेवा की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली (**UPSC**) द्वारा प्रत्येक वर्ष मई से आरम्भ होकर जनवरी तक आयोजित की जाती है। जिसका उद्देश्य व भन्न

प्रकार के भारतीय पु लस पदो को भरना है। और जिसमें प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या मैं युवा परीक्षा देते हैं जिसमे से की श्रेष्ठ युवा को इस पद के लए चुना जाता हैं।

भारतीय पु लस सेवा (आई.पी.एस. (***IPS***)) में चयन स वल सेवा परीक्षा (प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित) के द्वारा होता है। इस पद की समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए देश के लाखों युवाओं के बीच इसके प्रति जबरदस्त आकर्षण है। जिसके वजह से देश के लाखों युवा इस परीक्षा में शा मल होते हैं ले कन अन्तिम चयन में कुछ मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र ही स्थान बना पाते हैं। भारतीय पु लस सेवा में अभ्यर्थी का चुनाव परीक्षा में उसके अंक और उसके द्वारा दी गयी पदो की वरीयता के हिसाब से होता है। इस सेवा के साथ चुनौतियाँ और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं, इस लए संघ लोक सेवा आयोग ऐसे अभ्यर्थी का चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हो। आई.पी.एस में चुने हुए अभ्यर्थी का प्र शक्षण सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल पु लस एकेडमी, हैदराबाद में होती है। प्र शक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को जो राज्य कैडर दिया जाता है, उस राज्य के कसी जिले के पु लस अधीक्षक के कार्यालय में एक साल की कार्य प्र शक्षण लेनी होती है। इसके बाद सहायक पु लस अधीक्षक के रूप में दो वर्ष तक कार्य करने होते है। सहायक पु लस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए, अ धकारी के उत्तरदायित्व पु लस उपाधीक्षक के समकक्ष होती है। अपराध को रोकना और उसका पता लगाना प्रमुख कार्य है। सहायक पु लस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए अपने वरीय अ धकारी पु लस अधीक्षक, वरीय पु लस अधीक्षक, उप पु लस महानिरीक्षक के प्रति जवाबदेही होती है। पदोन्नति के द्वारा

आई.पी.एस अ धकारी सहायक पु लस अधीक्षक से पु लस महानिदेशक पद तक पहुँच सकता है। पु लस महानिदेशक राज्य पु लस बल का मु खया होता है। साथ ही आई.पी.एस अ धकारी प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के खु फया वभाग *इंटे लजेन्स ब्यूरो* (आई.बी) और सी.बी.आई में जाते है। दिल्ली, मुम्बई और कोलकता जैसे शहरों में, कानून और व्यवस्था को बनाये रखना पु लस बल की वशेष जिम्मेदारी है। इन शहरों में पु लस अ धकारी को सहायक पु लस आयुक्त, अतिरिक्त पु लस उपायुक्त, पु लस उपायुक्त (डीसीपी) संयुक्त पु लस आयुक्त और पु लस आयुक्त (सीपी) कहा जाता है। पु लस आयुक्त इन शहरों के पु लस बल का प्रमुख होता है।

कैरिअर की प्रगति

आईपीएस अ धकारी अपना करियर सहायक पु लस अधीक्षक के रूप में शुरू करते हैं।

- पु लस महानिदेशक "**DGP**" - डीजीपी भारत में कसी राज्य या केंद्र शा सत प्रदेश में सर्वोच्च रैं कंग वाला पु लस अ धकारी होता है। वे राज्य पु लस के प्रमुख के पद पर तैनात हैं । डीजीपी रैंक के अ धकारियों की अन्य पोस्टिंग अग्निशमन वभाग के प्रमुख, जेल प्रमुख हैं, आपरा धक जांच वभाग के प्रमुख । यदि कसी राज्य कैडर में डीजीपी रैंक के एक से अ धक अ धकारी हैं, तो सबसे वरिष्ठ अ धकारी को राज्य पु लस के प्रमुख के रूप में नियुक्त कया जाता है और अन्य अ धकारियों को पु लस

वभाग के बाहर अन्य वभागों में डीजीपी के रूप में तैनात कया जाता है। इसका उदाहरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक, अग्निशमन बल के महानिदेशक, जेल वभाग के महानिदेशक, अपराध शाखा सीआईडी के महानिदेशक आदि की नियुक्ति है।

- पु लस अपर महानिदेशक "**ADG**" - यह एक वरिष्ठ अ धकारी का पद है इस रैंक में वे राज्य पु लस की वशेष इकाइयों जैसे खु फया, कानून और व्यवस्था, अपराध शाखा, सशस्त्र पु लस, पु लस प शक्षण, आदि के प्रमुख होते हैं
- पु लस महानिरीक्षक "**IG**" - इस पद पर वह कई पु लस रेंजों वाले एक पु लस ज़ोन का प्रमुख होता है।यह एक वरिष्ठ पद है और वे व भन्न वशेष इकाइयों में भी तैनात होते हैं
- पु लस उपमहानिरीक्षक "**DIG**" - इस रैंक में वे पु लस रेंज के प्रमुख होते हैं, जिसमें कई पु लस जिले शा मल होते हैं यह एक वरिष्ठ पद है और वे व भन्न वशेष इकाइयों में भी तैनात होते हैं
- वरिष्ठ पु लस अधीक्षक "**SSP**" - एसएसपी को आम तौर पर बड़े शहरों या महानगरीय क्षेत्रों में पु लस जिलों का प्रमुख नियुक्त कया जाता है। यह चयन ग्रेड पद है
- पु लस अधीक्षक "**SP**" - एसपी को आमतौर पर पु लस जिलों का प्रमुख नियुक्त कया जाता है

- अपर पु लस अधीक्षक "**Addl.SP**" - अतिरिक्त. एसपी को आम तौर पर पु लस उप- वभागों का प्रमुख नियुक्त कया जाता है या कसी जिले में पु लस संचालन की देखरेख में एसपी की सहायता की जाती है।
- सहायक पु लस अधीक्षक (एएसपी) "**ASP**" - यह आईपीएस अ धकारियों के लए प्रवेश स्तर की रैंक है। एएसपी को आमतौर पर उप- वभागीय पु लस अ धकारी के रूप में तैनात कया जाता है। वे उपखंड के अंतर्गत कई पु लस थानों के कामकाज की निगरानी करते हैं। यह रैंक पु लस उपाधीक्षक के समकक्ष है

केन्द्रीय स वल सेवा

केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सरकार के प्रशासन के साथ संबं धत हैं। यह वदेशी मामलों, रक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, पदों और तार, आदि जैसे वषयों के साथ संबं धत हैं। इन सेवाओं के अ धकारी केन्द्रिय सरकार के अ धकारियों द्वारा भर्ती कए जाते हैं।

ग्रुप "ए

- भारतीय वदेश सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय आयुध निर्माणी सेवा ग्रुप 'ए'.
- भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा ग्रुप 'ए'.
- केंद्रीय स चवालय सेवा ग्रुप 'ए' (ग्रेड चयन और ग्रेड I अ धकारियों)

- पुरातत्व सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, ग्रुप 'ए'.
- केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (स वल) ग्रुप 'ए'.
- केंद्रीय इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) ग्रुप 'ए' सेवा.
- केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रुप 'ए'.
- केंद्रीय राजस्व रासायनिक सेवा, ग्रुप 'ए'.
- सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय स वल लेखा सेवा.
- भारतीय रक्षा लेखा सेवा
- भारतीय मौसम सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय डाक और टेलीग्राफ यातायात सेवा, ग्रुप 'क'.
- भारतीय राजस्व सेवा, ग्रुप 'ए' (सीमा शुल्क शाखा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शाखा और आयकर शाखा)
- भारतीय नमक सेवा, ग्रुप 'ए'.
- व्यापारिक समुद्री प्र शक्षण पोत सेवा, ग्रुप 'ए'.

- खान सुरक्षा महानिदेशालय, ग्रुप 'ए' .
- वदेशी संचार सेवा, ग्रुप 'ए'.
- सर्वे ऑफ इं डया, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय दूरसंचार सेवा, ग्रुप 'ए'.
- भारत की जूलॉजिकल सर्वे, ग्रुप 'ए'.
- भारतीय स वल सेवा फ्रंटियर, ग्रुप 'ए' (ग्रेड-I और ग्रेड II अ धकारी)
- केंद्रीय न्यायिक सेवा (ग्रेड I, II, III और IV)
- रेलवे निरीक्षणालय सेवा, ग्रुप 'ए'
- भारतीय वदेश सेवा, शाखा (बी) (पूर्व) - (सामान्य संवर्ग, ग्रेड I और सामान्य संवर्ग, ग्रेड II)
- दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप ग्रुप स वल सेवा, ग्रेड I.
- दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप पु लस सेवा, ग्रेड II.
- भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप 'ए'
- भारतीय आपूर्ति सेवा, ग्रुप 'ए'
- केन्द्रीय सूचना सेवा (चयन ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड, ग्रेड I और ग्रेड II)
- भारतीय सांख्यिकी सेवा
- भारतीय आ र्थक सेवा

- टेलीग्राफ यातायात सेवा, ग्रुप 'ए'
- केन्द्रीय जल अ भयांत्रिकी सेवा, ग्रुप 'ए'
- सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग स र्वस, ग्रुप 'ए'
- कंपनी लॉ बोर्ड सेवा
- केंद्रीय पूल के श्रम अ धकारियों, ग्रुप 'ए'
- केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क), ग्रुप 'ए'
- भारतीय डाक और टेलीग्राफ लेखा और वत्त सेवा, ग्रुप 'ए'
- भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा
- केंद्रीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'ए'
- सशस्त्र बलों के मुख्यालय स वल सेवा (ग्रुप 'ए')
- केंद्रीय स चवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप 'ए')

ग्रुप "बी

- केंद्रीय स चवालय सेवा, ग्रुप 'बी' (धारा और 'सहायक ग्रेड अ धकारी)
- केंद्रीय स चवालय राजभाषा सेवा, ग्रुप 'बी'
- केंद्रीय स चवालय आशु ल पक सेवा, (ग्रेड I, ग्रेड II और चयन ग्रेड अ धकारी)
- केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रुप 'बी'

- भारतीय मौसम सेवा, ग्रुप बी
- डाक अधीक्षकों 'सेवा, ग्रुप' बी '
- पोस्टमास्टर सेवा, ग्रुप' बी '
- टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेवा, ग्रुप 'बी'
- भारतीय डाक और टेलीग्राफ लेखा और वत्त सेवा, ग्रुप 'बी' दूरसंचार वंग.
- भारतीय डाक एवं टेलीग्राफ लेखा एवं वत्त सेवा, डाक वंग, ग्रुप 'बी'
- तार यातायात सेवा, ग्रुप बी
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, ग्रुप 'बी'
- मूल्यांक सीमा शुल्क सेवा, ग्रुप 'बी' (प्रधान मूल्यांक और मुख्य मूल्यांक)
- सीमा शुल्क निवारक सेवा, ग्रुप 'बी' - (मुख्य निरीक्षक)
- रक्षा स चवालय सेवा
- केंद्र शा सत प्रदेश प्रशासनिक सेवा
- केंद्र शा सत प्रदेश पु लस सेवा

राज्य स वल सेवा

राज्य स वल सेवा परीक्षाओं और भर्ती का आयोजन भारत के व्यक्तिगत राज्यों द्वारा की जाती है। राज्य स वल सेवा भू म राजस्व, कृ ष, वन, शक्षा आदि जैसे वषयों के साथ जुड़ी है। राज्य नागरिक सेवाओं के अ धकारियों की भर्ती व भन्न राज्यों द्वारा राज्य

लोक सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है। राज्य से वल सेवा (एससीएस) परीक्षा के माध्यम से चयनित कए गए छात्रों की निम्न ल खत सेवाओं की श्रेणी है।:

- राज्य स वल सेवा, क्लास-I (पी.सी.एस) प्रावेन्सियल स वल स र्वस
- राज्य पु लस सेवा, क्लास-I (पी.पी.एस) प्रावेन्सियल पु लस स र्वस
- ब्लॉक डेवलपमेंट अ धकारी.
- राजस्व (प्रशासनिक) सेवा
- तहसीलदार / तालुकदार / सहायक कलेक्टर.
- उत्पाद शुल्क और कराधान अ धकारी.
- रोजगार अ धकारी जिला.
- खजाना अ धकारी जिला.
- जिला कल्याण अ धकारी.
- सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी.
- जिला खाद्य एवं आपूर्ति अ धकारी / नियंत्रक.
- कसी भी अन्य क्लास-I/क्लास-II सेवा नियमों के अनुसार संबं धत राज्य द्वारा अ धसू चत.

अन्य

स वल सेवा दिवस

स वल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य नागरिकों के लए अपने आप को एक बार पुनः सम र्पत और फर से वचनबद्ध करना है। इसे सभी स वल सेवा द्वारा मनाया जाता है। यह दिन स वल सेवकों को बदलते समय के चुनौतियों के साथ भ वष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण और सोचने का अवसर प्रदान करता है।

इस अवसर पर, केन्द्रिय और राज्य सरकारों के सभी अ धकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्ठता के लए सम्मानित कया जाता है। 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लए प्रधानमंत्री पुरस्कार तीन श्रे णयों में प्रस्तुत कया जाता है। पुरस्कारों की इस योजना के तहत 2006 में गठन कया गया, व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप के रूप में या संगठन के रूप में सभी अ धकारी इसके पात्र हैं।

पुरस्कार में एक पदक, स्क्रॉल और रू 1 लाख की नकद रा श भी शा मल है। एक ग्रुप के मामले में कुल पुरस्कार रा श 5 लाख रुपए है, प्रति व्यक्ति अ धकतम 1 लाख रूपए का भागीदार होता है। कसी संगठन के लए नकद रा श 5 लाख रूपये तक सी मत है।